नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.01.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है की प्रार्थी की खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 76 व 764/78 कुल रकबा 8.6361 सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 163,164 व 165 कुल रकबा 8.4673 ग्राम गूंगरोट तहसील सिवाना में अवस्थित है। सर्वे रिसर्वे के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में कम रकबा तरमीम कर दी राजस्व कर्मचारियो द्वारा पूर्व रकबानुसार करीबन 0.1668 हैक्टेयर रकबा कम कर देने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड के लटठा ट्रेस में पूर्व रकबानुसार सुधार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पुराने खसरा संख्या 76 रकबा 4.6863 हैक्टेयर का सर्वे रिसर्वे के दौरान नवीन खसरा संख्या 163 रकबा 4.3635 हैक्टेयर व खसरा संख्या 204 रकबा 0.1632 हैक्टेयर कुल रकबा 4.5267 हैक्टेयर बना तथा खसरा संख्या 764/78 रकबा 3.9498 हैक्टेयर का खसरा संख्या 164 रकबा 3.9406 हैक्टेयर बना, खसरा संख्या 164 गांव सीमा पर स्थित है,तथा रकबा अनुज्ञेय सीमा 0.23 प्रतिशत में है प्रार्थी को मौका अनुसार रकबा दिया गया है खसरा संख्या 163 व 204 कुल रकबा 4.5267 हैक्टेयर गत जमाबंदी से 0.1596 हैक्टेयर रकबा अनुज्ञेय सीमा 3.40 प्रतिशत में है मौके अनुसार रकबा पूर्ण है आस–पास का खसरो में किसी भी खसरो मे गत जमाबंदी से अधिक रकबा नहीं है। तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट में प्रार्थी का रकबा पूर्ण किया जाना संभव नहीं बताया है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे। आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को सरे इजलास सुना गया । उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	